झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

1321० (वि०)

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-51/2017-18/ /मत्स्य, राँची, दिनांक 13/07/2021

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो0 687.44 लाख (छ: करोड़ सत्तासी लाख चौवालीस हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत मत्स्य मित्रों के द्वारा मछुआरों/मत्स्य कृषकों तथा इस कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सूचिकरण एवं उनके बैंक खाते के आधार सीडिंग हेतु उनका सर्वे, केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता, तालाबों के सैटेलाईट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस0 एपलीकेशन, विभागीय जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाईल रिचार्ज कूपन, अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया आदि के बीज का संचयन, जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित), केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट, निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन, विभागीय प्रक्षेत्रों/तालाबों हेतु एयरेटर तथा प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे।

साथ ही वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण कतिपय अन्य कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्यों को कम करते हुए मात्र 2400 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, 2400 मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों का तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, 2730 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण, 19000 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी आदि किये जाऐंगें। साथ ही विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तद्नुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट शीर्ष-2405-मछली पालन के अन्तर्गत मो0 932.00 लाख रु0 मात्र का बजटीय उपबंध है, जिसके विरुद्ध राशि मो0 687.44 लाख (छ: करोड़ सत्तासी लाख चौवालीस हजार) रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 687.44 लाख (छः करोड़ सत्तासी लाख चौवालीस हजार) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) - मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन
उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मद एवं वित्त कोड (राशि लाख रू0 में)

क्रम	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन		बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			
1	09 मानदेय	53S24050010120010109	17.7200	17.7200
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			
2	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	53S24050010120010321	33.0000	33.0000
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S24050010120010323	152.2000	152.2000
4	35 प्रशिक्षण व्यय	53S24050010120010335	81.5800	32.2576
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय			
5	59 अन्य व्यय	53S24050010120010759	47.5000	23.2800
		उप योग :	332.00	258.4576
	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			
1	09 मानदेय	53S24050078920010109	1.0000	1.0000
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			
2	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S24050078920010323	39.7600	39.7600
3	35 प्रशिक्षण व्यय	53S24050078920010335	34.3800	12.0200
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय			
4	59 अन्य व्यय	53S24050078920010759	11.0000	6.3200
		उप योग :	86.1400	59.1000
	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			
1	09 मानदेय	53S24050079620010109	51.4100	51.4100
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			
2	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	53S24050079620010321	87.0000	87.0000
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S24050079620010323	142.9500	142.9500
4	35 प्रशिक्षण व्यय	53S24050079620010335	128.0000	50.9224
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय			
5	59 अन्य व्यय	53S24050079620010759	104.50	37.6000
		उप योग :	513.8600	369.8824
		सकल योग :	932.0000	687.4400

कुल मो0 687.44 लाख (छः करोड़ सत्तासी लाख चौवालीस हजार) रुपये मात्र।

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची होगें जो राशि की निकासी संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होगें जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय-समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।

6. (क) मत्स्य मित्रों के द्वारा मछुआरों/ मत्स्य कृषकों तथा इस कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सूचिकरण एवं उनके बैंक खाते के आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे करा कर प्राप्त सूचनाओं को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में सभी जिला मत्स्य कार्यालयों में सुरक्षित रखा जायेगा।

(ख) केज कल्चर के स्थलों से सूचनाओं की प्राप्ति एवं आँकड़ों के संधारण हेतु मत्स्य मित्र की तर्ज पर केज मत्स्य मित्र कार्य करेंगे। इनके द्वारा केज स्थल पर जाकर सूचना संग्रहण किया जायेगा एवं तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशालय पत्रांक 1546 दिनांक 13.08.2018 द्वारा दिशा निदेश एवं प्रपत्र संबंधित जिलों को निर्गत किया गया है।

(ग) विभागीय तालाबों में सघन मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जायेगा, जिस पर प्रति एकड़ 40,000/- रु0 मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिक्री मूल्य निर्धारित कराकर बिक्री की जायगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।

(घ) वर्ष 2017-18 के मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के स्वीकृत राज्यादेश सं0 06 दिनांक 15.04.2017 तथा वर्ष 2016-17 के मत्स्य प्रसार योजना के स्वीकृत राज्यादेश सं0 06 दिनांक 26.04.2016 के आलोक में राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों तथा विभागीय क्षेत्रीय कर्मियों के लिये मोबाईल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।

(ङ) अमूर कार्प/जयंती रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जायेगा।

(च) जलाशय स्तरीय 1720 मछुआरों के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित) हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्ड पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा एवं संबंधित सभी सूचनाएँ जिला मत्स्य कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखी जायेंगी।

(छ) प्रचार/प्रसार/सेमिनार/मेला/प्रदर्शनी/पोस्टर/पम्पलेट/डॉक्यूमेंटरी फिल्म/बुकलेट/डाटा इण्ट्री/डी0पी0आर0/ कंसल्टेंसी तथा फोटोग्राफी आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मत्स्य कृषकों के सर्वेक्षण हेतु डाटा इंट्री कार्य अथवा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी इस राशि से कराया जायेगा।

(ज) राज्य, पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य पालकों के बीच जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिसपर 100/-रु0 प्रतिदिन प्रति मत्स्य पालक की दर से राशि व्यय की जायेगी।

(झ) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों तथा मत्स्य बीज उत्पादकों, आर0एफ0एफ0 समूहों, केज पालकों, हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार स्वरुप/ सम्मानित करने हेतु अधिकतम् राशि 30,000/-रु0 प्रति चयनित कृषक पुरस्कार के रुप में प्रचार-प्रसार एवं विपणन हेतु मोटरसाईकिल अथवा मोपेड के साथ आईस बॉक्स/डीप फ्रिजर अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित 12 Paddle Wheel Aërator के क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा एवं संचिका के माध्यम से संबंधित जिले के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा।

7. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जॉच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही मानदेय एवं वाहन का प्रावधान तथा राशि का भुगतान करेंगे।

8. परिशिष्ट- IV में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क. राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 2400 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 225/-रु0 की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय तथा आवासन पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

ख. मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों के तीन दिवसीय कार्यशाला तथा रिफ्रेसर कोर्स के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 1225/-रु0 की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 200/- रु0 की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति बीज उत्पादक को एवं संस्थागत् व्यय के रुप में 75/- रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन तथा प्रशिक्षणर्थियों को आने-जाने हेतु अधिकतम प्रति प्रशिक्षणर्थी 400/- रु0 अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला की राशि से आवश्यकतानुसार आर0एफ0एफ0 लाभुक समूहों, केज मत्स्य पालकों, हैचरी संचालकों तथा मत्स्य विक्रेताओं के समूहों की भी कार्यशाला का आयोजन किया जा सकेगा।

ग. मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पॉच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/-रु0 प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/- रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 75/-रु0 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन अनुमानित संस्थागत् व्यय के रुप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 400/-रु0 मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय रॉची तक) भुगतान किया जायेगा।

प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन-भाड़ा/बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संस्था द्वारा मॉगा गया संस्थागत् व्यय भी अनुमान्य होगा।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

घ. झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं0-773 दिनांक 20.06.2013 के तहत् मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का

प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

ड. वर्तमान समय में समस्त विश्व में कोविड-19 की महामारी को देखते हुये सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों तथा माप-दण्डों के अंतर्गत ही इस योजना अंतर्गत गोष्ठी, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का कियान्वयन किया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पॉच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रुप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

10. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :

क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षण : फैक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पॉच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 40/- रु0 प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल मो0 2.00 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिक्री की जायगी।

ख. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप पूर्व संचालित एवं नए रंगीन मछली इकाई हेतु पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची की होगी।

ग. प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम के रख-रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन, विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर की तैयारी तथा मत्स्य विपणन/मत्स्य रोग पहचान एवं निदान आदि के लिए आई0टी0- बेस्ड कार्यक्रम/मत्स्य निदेशालय के वेबसाईट का रख-रखाव/मोबाईल एप्प विकसित कराया जायेगा।

11. साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की निर्गत कार्यवाही ज्ञापांक-रा0 यो0 प्रा0-35/21 राँची, दिनांक 01.03.2021 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 40 रा0 (वि0)/मत्स्य दिनांक 22.03.2021 निर्गत है। इस वित्तीय वर्ष में भी संलग्न परिशिष्टों में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप निम्न कार्य किया जायेगा :

(क) जलाशयों के केज कल्चर में केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उन्हें MMD Approved, 16.5 Kilos Floatability तथा 80 X 37 X 10 Cms Size के Soft neopolene foam & airex filling का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मत्स्य द्वारा लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 1792/- रुपये है। जबकि पूर्व आकलित दर 1600/- रु0 है। अतएव लाईफ जैकेट की पूर्व आकलित दर (मो0 1600/-रू0) पर ही 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम मो0 1200/-रू0) देय होगा तथा 25 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य

के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके द्वारा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है तथा लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये लाईफ जैकेट के क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा लाईफ जैकेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(ख) निजी क्षेत्र के चयनित कृषकों के तालाबों में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरुप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/- रु0 मात्र के दर पर महाझींगा का पालन किया जाएगा। इस हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 3,20,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 2,80,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा-निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा। लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

(ग) तालाबों के जल में मछली पालन हेतु घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रायोगिक रुप में विभागीय प्रक्षेत्रों/तालाबों हेतु कम से कम 2 HP, 50 Hz, 440 V, 2.8 Amps, oxygenate capability 7.2Kg/h के 12 Paddle Wheel Aerator की व्यवस्था किए जाने के लिए इकाई लागत निर्धारित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मत्स्य द्वारा आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 48,500/- रुपये मात्र अधिकतम (GST एवं परिवहन लागत सहित) है। इसी दर पर राशि का व्यय किया जायेगा। इसके फलाफल को ध्यान में रखते हुये इसे निजी क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(घ) झारखण्ड स्टेट एपलीकेशन सेंटर, धुर्वा, राँची की सहायता से राज्य के तालाबों के सैटेलाईट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस0 एपलीकेशन विकसित किये जाने हेतु 28.692 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जाएगा।

(ङ) निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी माँगूर पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरुप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/- रु0 मात्र का दर होगा। इस हेतु झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 3,20,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 2,80,000/- रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके

सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा-निदेश संबंधित जिला को निर्गत किया जाएगा।

(च) पायलट प्रोजेक्ट के रुप में विभागीय प्रक्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर एक यूनिट में पर्ल कल्चर किये जाने हेतु मो0 4.00 लाख रु0 मात्र का प्रावधान है। सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची द्वारा इसका कियान्वयन करते हुये इसकी आर्थिकी तैयार की जाएगी ताकि इसके सफल कियान्वयन पश्चात् आगामी वर्षों में इच्छुक मत्स्य कृषकों को भी इसका प्रशिक्षण प्रदान करते हुये आर्थिकी के आधार पर इसे निजी क्षेत्र के लिए भी प्रस्तावित किया जा सकेगा।

लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बनाकर ही इसका कियान्वयन कराया जाय तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के guidelines में निहित प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्यांग नीति, झारखण्ड के तहत् इच्छुक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

13. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक क्रय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।

14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

16. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि मो0 695.00 लाख रु0 मात्र के विरूद्ध मो0 516.52 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।

17. वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन निर्गत किया जायेगा।

18. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।

20. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

21. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

22. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में वित्तीय सलाहकार की सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है :-

I व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत हो।

II किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो।

III स्वीकृत्यादेश प्रारुप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्त्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

24. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1321 (वि०) मत्स्य / राँची, दिनांक 13/07/2021

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1321 (वि०) मत्स्य / राँची, दिनांक 13/07/2021

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1321 (वि०) मत्स्य / राँची, दिनांक 13/07/2021

प्रतिलिपि : संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1321 (वि०) मत्स्य / राँची, दिनांक 13/07/2021

प्रतिलिपि : योजना सह वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-
उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय				विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री															विस्तृत शीर्ष-03- प्रशासनिक व्यय-21- सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय				कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		मत्स्य मित्रों के द्वारा आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे		केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता		विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन		मोबाईल रिचार्ज कूपन		पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन		जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिये आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित)		कार्यालय उपस्कर, जाल आदि	केज मत्स्य पालकों हेतु लाईफ जैकेट		निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन		विभागीय प्रक्षेत्रों/तालाबों हेतु paddle wheel एयरेटर		प्रचार प्रसार सेमिनार, मेला, प्रदर्शनी, पोस्टर, पम्पलेट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बुकलेट, डेटा इन्ट्री, डी0पी0आर0, फोटोग्राफी, कन्सलटेन्सी आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मत्स्य कृषकों की गोष्ठी		पुरस्कार/ सम्मान		
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	केज मित्रों का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	हजारीबाग	1200	0.240	2	2.616	2.50	1.000	403	2.108	6000	0.120	100	0.150	0.500	80	0.960	5	6.400	1	0.485	3.000	770	1.540	3	0.900	20.019
2	रामगढ़	800	0.160	2	2.616	1.00	0.400	282	1.472	6000	0.120	100	0.150	0.500	40	0.480	3	3.840	1	0.485	3.000	620	1.240	2	0.600	15.063
3	कोडरमा	1000	0.200	2	2.616	1.00	0.400	283	1.508	6000	0.120	100	0.150	0.500	80	0.960	4	5.120	0	0.000	3.000	690	1.380	2	0.600	16.554
4	चतरा	800	0.160	0	0.000	1.00	0.400	312	1.622	4500	0.090	100	0.150	0.500	20	0.240	2	2.560	0	0.000	3.000	620	1.240	2	0.600	10.562
5	बोकारो	1000	0.200	2	2.616	1.50	0.600	362	1.872	6000	0.120	100	0.150	0.500	80	0.960	4	5.120	1	0.485	3.000	690	1.380	3	0.900	17.903
6	गिरिडीह	800	0.160	0	0.000	1.00	0.400	252	1.322	6000	0.120	100	0.150	0.500	20	0.240	2	2.560	0	0.000	3.000	690	1.380	2	0.600	10.432
7	धनबाद	1000	0.200	2	2.616	1.00	0.400	345	1.880	6000	0.120	100	0.150	0.500	40	0.480	4	5.120	0	0.000	3.000	690	1.380	3	0.900	16.746
8	गोड्डा	600	0.120	0	0.000	0.50	0.200	282	1.472	4500	0.090	100	0.150	0.500	20	0.240	2	2.560	0	0.000	3.000	600	1.200	2	0.600	10.132
9	पलामू	1120	0.224	0	0.000	1.50	0.600	342	1.772	4500	0.090	100	0.150	0.500	20	0.240	2	2.560	0	0.000	3.000	650	1.300	2	0.600	11.036
10	गढ़वा	800	0.160	0	0.000	1.00	0.400	302	1.572	4500	0.090	100	0.150	0.500	20	0.240	2	2.560	0	0.000	3.000	670	1.040	2	0.600	10.312
11	देवघर	1000	0.200	2	2.616	0.00	0.000	362	1.872	6000	0.120	100	0.150	0.500	80	0.960	6	7.680	1	0.485	3.000	1350	2.700	2	0.600	20.883
	कुल योग :	10120	2.024	12	15.696	12.00	4.800	[illegible]27	18.472	60000	1.200	1100	1.650	5.500	500	6.000	36	46.080	4	1.940	33.000	7890	15.780	25	7.500	159.642

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नही समझा जाय।

(मो0 एक करोड़ उनसठ लाख चौसठ हजार दो सौ रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख़ पी0)
सरकार के सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-
उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय: मत्स्य मित्रों के द्वारा आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे — भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता — केज मित्रों का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	तालाबों के सैटेलाईट मैपिंग तथा मोबाईल एप्प के साथ वेब जी0आई0एस0 एप्लीकेशन — वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री: विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन — भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	मोबाईल रिचार्ज कूपन — भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मयूर कार्प/ब्लाईंड रोहू/सिलाथिया आदि के मत्स्य बीज का संचयन — भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिये आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित) — भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	कार्यालय उपस्कर, जाल आदि — वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	केज मत्स्य पालकों हेतु लाईफ जैकेट — भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन — भौतिक लक्ष्य (ए0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	विभागीय प्रक्षेत्रों/तालाबों हेतु paddle wheel एयरेटर — भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-21-सेमिनार/समारोह/कार्यशाला: प्रचार प्रसार सेमिनार, मेला, प्रदर्शनी, पोस्टर, पम्पलेट, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बुकलेट, डेटा इन्ट्री, डी0पी0आर0, फोटोग्राफी, कन्सलटेंसी आदि का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय: मत्स्य कृषकों की गोष्ठी — भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	पुरस्कार/ सम्मान — भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	रॉंची	950	0.190	2	2.616	0.000	2.00	0.800	314	1.694	10500	0.210	100	0.150	0.500	50	0.600	5	6.400	2	0.970	3.000	1000	2.000	3	0.900	20.030
2	खूंटी	500	0.100	1	1.308	0.000	0.00	0.000	131	0.686	3000	0.060	0	0.000	0.500	20	0.240	1	1.280	1	0.485	3.000	690	1.380	2	0.600	9.639
3	गुमला	900	0.180	1	1.308	0.000	5.00	2.000	253	1.358	3000	0.060	0	0.000	0.500	20	0.240	3	3.840	1	0.485	3.000	770	1.540	2	0.600	16.111
4	सिमडेगा	600	0.120	1	1.308	0.000	0.50	0.200	191	0.986	3000	0.060	0	0.000	0.500	30	0.360	2	2.560	0	0.000	3.000	620	1.240	2	0.600	10.934
5	लोहरदगा	600	0.120	1	1.308	0.000	1.00	0.400	182	0.972	3000	0.060	0	0.000	0.500	20	0.240	1	1.280	0	0.000	3.000	620	1.240	2	0.600	9.720
6	लातेहार	700	0.140	0	0.000	0.000	1.00	0.400	231	1.186	3000	0.060	0	0.000	0.500	0	0.000	1	1.280	1	0.485	3.000	770	1.540	2	0.600	9.191
7	प0 सिंहभूम	860	0.172	1	1.308	0.000	2.00	0.800	303	1.608	4500	0.090	100	0.150	0.500	60	0.720	3	3.840	1	0.485	3.000	770	1.540	2	0.600	14.813
8	पूर्वी सिंहभूम	800	0.160	0	0.000	0.000	1.00	0.400	254	1.332	3000	0.060	0	0.000	0.500	0	0.000	3	3.840	1	0.485	3.000	690	1.380	2	0.600	11.767
9	सरायकेला	1000	0.200	3	3.924	0.000	1.00	0.400	372	1.922	4500	0.090	150	0.225	0.500	210	2.520	3	3.840	1	0.485	3.000	830	1.660	3	0.900	19.666
10	दुमका	1000	0.200	1	1.308	0.000	3.00	1.200	252	1.322	4500	0.090	100	0.150	0.500	50	0.600	5	6.400	1	0.485	3.000	1130	2.260	3	0.900	18.416
11	जामताड़ा	800	0.160	1	1.308	0.000	3.00	1.200	182	0.972	3000	0.060	50	0.075	0.500	20	0.240	3	3.840	1	0.485	3.000	600	1.200	2	0.600	13.640
12	साहेबगंज	800	0.160	0	0.000	0.000	1.00	0.400	182	0.972	3000	0.060	0	0.000	0.500	0	0.000	3	3.840	0	0.000	3.000	470	0.940	2	0.600	10.472
13	पाकुड़	600	0.120	0	0.000	0.000	1.00	0.400	172	0.922	3000	0.060	0	0.000	0.500	20	0.240	3	3.840	1	0.485	3.000	490	0.980	2	0.600	11.147
14	मत्स्य बि0 प्र0 के0, रॉंची	0	0.000	0	0.000	0.000	2.00	0.800	3	0.108	9000	0.180	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	2	0.970	2.000	0	0.000	0	0.000	4.058
15	स0 म0 नि0 अनु0, रॉंची	0	0.000	0	0.000	0.000	0.00	0.000	5	0.180	9000	0.180	0	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	1	0.485	3.000	0	0.000	0	0.000	3.845
16	मत्स्य निदेशालय, रॉंची	0	0.000	0	0.000	28.692	0.00	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	4.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	43.000	0	0.000	0	0.000	75.692
	कुल योग :	10110	2.022	12	15.696	28.692	23.50	9.400	3027	16.220	69000	1.380	500	0.750	10.500	500	6.000	36	46.080	14	6.790	87.000	9450	18.900	29	8.700	258.130

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 दो करोड़ अन्ठावन लाख तेरह हजार रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

... 2021-22 ... मांग संख्या-33-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री												विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय				कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		मत्स्य मित्रों के द्वारा आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे		विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन		मोबाईल रिचार्ज कूपन		पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया आदि के मत्स्य-बीज का संचयन		जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिये आईडेन्टिटी कार्ड (हिटा सहित)		केज मत्स्य पालकों हेतु लाईफ जैकेट		निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन		मत्स्य कृषकों की गोष्ठी		पुरस्कार/ सम्मान		
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ह0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (ह0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	राँची	350	0.070	0.50	0.200	100	0.500	3000	0.0600	20	0.030	10	0.120	2	2.560	110	0.220	1	0.300	**4.060**
2	खूँटी	200	0.040	0.00	0.000	40	0.200	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	1	1.280	50	0.100	0	0.000	**1.640**
3	गुमला	200	0.040	0.00	0.000	50	0.250	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	1	1.280	60	0.120	0	0.000	**1.710**
4	सिमडेगा	150	0.030	0.00	0.000	20	0.100	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	40	0.080	0	0.000	**0.230**
5	लोहरदगा	150	0.030	0.00	0.000	40	0.200	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	1	1.280	40	0.080	1	0.300	**1.910**
6	लातेहार	150	0.030	0.00	0.000	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	40	0.080	1	0.300	**0.580**
7	प0 सिंहभूम	200	0.040	0.00	0.000	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	75	0.150	1	0.300	**0.660**
8	पूर्वी सिंहभूम	200	0.040	0.00	0.000	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	45	0.090	1	0.300	**0.600**
9	सरायकेला	200	0.040	0.50	0.200	50	0.250	2000	0.0400	20	0.030	0	0.000	1	1.280	80	0.160	0	0.000	**2.000**
10	दुमका	200	0.040	0.50	0.200	30	0.150	2000	0.0400	0	0.000	0	0.000	1	1.280	150	0.300	1	0.300	**2.310**
11	जामताड़ा	200	0.040	0.50	0.200	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	1	1.280	40	0.080	0	0.000	**1.770**
12	साहेबगंज	200	0.040	0.00	0.000	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	40	0.080	0	0.000	**0.290**
13	पाकुड़	150	0.030	0.00	0.000	40	0.200	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	40	0.080	0	0.000	**0.330**
14	हजारीबाग	250	0.050	0.50	0.200	70	0.350	3000	0.0600	20	0.030	20	0.240	2	2.560	105	0.210	1	0.300	**4.000**
15	रामगढ़	200	0.040	0.50	0.200	30	0.150	2000	0.0400	0	0.000	0	0.000	0	0.000	90	0.180	1	0.300	**0.910**
16	कोडरमा	280	0.056	0.00	0.000	50	0.250	2000	0.0400	20	0.030	20	0.240	2	2.560	90	0.180	1	0.300	**3.656**
17	चतरा	180	0.036	0.00	0.000	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	1	1.280	75	0.150	0	0.000	**1.636**
18	बोकारो	200	0.040	0.50	0.200	50	0.250	2000	0.0400	20	0.030	20	0.240	1	1.280	90	0.180	0	0.000	**2.260**
19	गिरिडीह	200	0.040	0.50	0.200	50	0.250	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	60	0.120	0	0.000	**0.630**
20	धनबाद	250	0.050	0.50	0.200	45	0.225	2000	0.0400	0	0.000	0	0.000	1	1.280	70	0.140	0	0.000	**1.935**
21	गोड्डा	150	0.030	0.00	0.000	45	0.225	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	40	0.080	0	0.000	**0.355**
22	पलामू	250	0.050	0.50	0.200	30	0.150	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	1	1.280	40	0.080	0	0.000	**1.780**
23	गढ़वा	240	0.048	0.00	0.000	20	0.100	1000	0.0200	0	0.000	0	0.000	1	1.280	40	0.080	0	0.000	**1.528**
24	देवघर	250	0.050	0.00	0.000	60	0.300	2000	0.0400	20	0.030	0	0.000	1	1.280	150	0.300	1	0.300	**2.300**
	कुल योग :	**5000**	**1.000**	**5.00**	**2.000**	**1000**	**5.000**	**35000**	**0.7000**	**120**	**0.180**	**70**	**0.840**	**18**	**23.040**	**1660**	**3.320**	**10**	**3.000**	**39.080**

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 उनचालीस लाख आठ हजार रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट IV

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रक्षार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य

क्र0	स्थापना / जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-35-प्रशिक्षण व्यय													विस्तृत शीर्ष-03 -प्रशासनिक व्यय- 23- आपूर्ति एवं सामग्री (वित्त0 लाख रू0 में)		वित्तीय योग (लाख रू0 में)
		मत्स्य बीज उत्पादकों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों का 03 दिवसीय कार्यशाला (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				05 दिवसीय प्रशिक्षण/विषय आधारित प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				राज्य में/ राज्य के बाहर अन्य संस्थानो में प्रशिक्षण-सह-स्थल भ्रमण (वित्त0 लाख रू0 में)			
		101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789- अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789- अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	789- अनु0 जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	रॉची	0	85	15	100	0	85	15	100	0	120	25	145	0.00	0.00	0.00	0.00
2	खूँटी	0	85	15	100	0	85	15	100	0	80	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
3	गुमला	0	85	15	100	0	85	15	100	0	80	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सिमडेगा	0	85	15	100	0	85	15	100	0	80	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
5	लोहरदगा	0	85	15	100	0	85	15	100	0	80	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
6	लातेहार	0	85	15	100	0	85	15	100	0	80	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
7	प0 सिंहभूम	0	85	15	100	0	85	15	100	0	120	15	135	0.00	0.00	0.00	0.00
8	पूर्वी सिंहभूम	0	85	15	100	0	85	15	100	0	80	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
9	सरायकेला	0	85	15	100	0	85	15	100	0	120	25	145	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दुमका	0	85	15	100	0	85	15	100	0	150	25	175	0.00	0.00	0.00	0.00
11	जामताड़ा	0	85	15	100	0	85	15	100	0	80	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
12	साहेबगंज	0	85	15	100	0	85	15	100	0	80	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
13	पाकुड़	0	85	15	100	0	85	15	100	0	80	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
14	हजारीबाग	85	0	15	100	85	0	15	100	120	0	25	145	0.00	0.00	0.00	0.00
15	रामगढ़	85	0	15	100	85	0	15	100	80	0	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
16	कोडरमा	85	0	15	100	85	0	15	100	100	0	15	115	0.00	0.00	0.00	0.00
17	चतरा	85	0	15	100	85	0	15	100	80	0	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
18	बोकारो	85	0	15	100	85	0	15	100	100	0	15	115	0.00	0.00	0.00	0.00
19	गिरिडीह	85	0	15	100	85	0	15	100	80	0	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
20	धनबाद	85	0	15	100	85	0	15	100	100	0	15	115	0.00	0.00	0.00	0.00
21	गोड्डा	85	0	15	100	85	0	15	100	80	0	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
22	पलामू	85	0	15	100	85	0	15	100	80	0	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
23	गढ़वा	85	0	15	100	85	0	15	100	80	0	15	95	0.00	0.00	0.00	0.00
24	देवघर	85	0	15	100	85	0	15	100	200	0	15	215	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग : भौतिक लक्ष्य	935	1105	360	2400	935	1105	360	2400	1100	1230	400	2730	0.00	0.00	0.00	0.00
25	गतिविधि0 का वित्त0 (लाख रू0 में)	2.1038	2.4863	0.8100	5.4000	11.4538	13.5363	4.4100	29.4000	18.7000	20.9100	6.8000	46.4100	13.9898	9.4380	8.2100	112.8478
	योग : वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	2.1038	2.4863	0.8100	5.4000	11.4538	13.5363	4.4100	29.4000	18.7000	20.9100	6.8000	46.4100	13.9898	9.4380	8.2100	112.8478

नोट :- कर्तनित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 एक करोड़ बारह लाख चौरासी हजार सात सौ अस्सी रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट V

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन- उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य

क्र0	कार्य	1 मत्स्य0कि0 प्र0के0	2 अनुसंधान	3 जमशेदपुर	4 हजारीबाग	5 बोकारो	6 देवघर	7 दुमका	8 धनबाद	9 राँची	10 मत्स्य निदेशालय	कुल वित्तीय योग (लाख रू0 में)
क	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन											
I	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री											
1	शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में 5000 कि0ग्रा0 पंगस मछली का उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	20	0	10	10	10	0	10	0	0	60
3	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	10	0	10	10	10	0	10	0	0	50
5	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00
6	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	समेकित मत्स्य पालन, रख-रखाव, नाव जाल एवं अन्य प्रायोगिक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8	प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम का रखरखाव एवं अन्य प्रयोगात्मक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि0 ग्रा0 में)	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	0	2000
10	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मांगुर पालन एवं प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
12	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मांगुर पालन एवं प्रत्यक्षण का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
13	विभागीय प्रक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पर्ल कल्चर का भौतिक लक्ष्य (यूनिट में)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14	विभागीय प्रक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पर्ल कल्चर का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	योग : 101-अन्तर्देशीय मछली पालन:	12.00	32.12	0.00	3.50	3.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	57.12
ख	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना											
I	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री											
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	50	30	0	0	0	10	0	0	0	90
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	20	10	0	0	0	10	0	0	0	40
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00
5	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
6	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि0 ग्रा0 में)	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1000	0	3000
7	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु ब्रूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.50
8	विभागीय तालाबों में देशी मांगुर तथा कवई आदि नई प्रजातियों के प्रायोगिक पालन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
9	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मांगुर पालन एवं प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
10	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मांगुर पालन एवं प्रत्यक्षण का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
11	विभागीय प्रक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पर्ल कल्चर का भौतिक लक्ष्य (यूनिट में)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	विभागीय प्रक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पर्ल कल्चर का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	उप योग	2.50	24.12	7.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.50	0.00	37.62
II	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय											
9	आई.टी. बेस्ड कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
III	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय											
10	अनुसंधान तथा जमशेदपुर केन्द्र में रंगीन मछली प्रजनन हेतु मानदेय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	योग : 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना:	2.50	31.62	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.50	5.00	52.62
ग	लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना											
I	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री											
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	15	0	0	0	0	0	0	0	40
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	20
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	योग : 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	0.00	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	कुल योग	14.50	68.24	13.50	3.50	3.50	3.00	3.00	3.00	0.50	5.00	117.74

नोट :- कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 एक करोड़ सतरह लाख चौहत्तर हजार रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव